



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 536]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 1983/अग्राहायण 7, 1905

No. 536]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 1983/AGRAHAYANA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

का० आ० 864(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83.—
केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 85
(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/78, दिनांक 10 फरवरी, 1978
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में “सदस्य” शीर्षक के अधीन:—

(1) क्रम संख्या 2 और उसके सम्बन्धित प्रविष्टि के
स्थान : निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि
रखी जायेगी, अर्थात्:—

(1) “2. श्री आर० एस० राजपूत,
प्रबन्धक,
भारत का औद्योगिक वित्त निगम,
चैटर्जी इन्टरनेशनल केन्द्र, 33-ए, चौरंगी रोड,
कलकत्ता-700071” ।

(2) क्रम संख्या 3 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या
अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“4. श्री ए०सी० मजुमदार,
मुख्य कार्यकारी (कार्मिक एवं प्रशासन),
एन्ड्रूयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 8-क्लाईव रो,
कलकत्ता-700001” ।

[फा०सं० 2(1)/78-सी० यू० एस०]

ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—आदेश संख्या का०आ० 85(अ)/18क/आई०
डी०आर०ए०/78, दिनांक 10 फरवरी, 1978
को बाद में निम्नलिखित आदेशों द्वारा संशोधित
कर दिया गया है:—

(1) का०आ० 485(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/78
दिनांक 3-8-1978.

(2) का०आ० 551(अ)/18क/आई०डी०आर० ए०/78
दिनांक 7-9-1978.

(3) का०आ० 748(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/79
दिनांक 22-11-1979.

(4) का०आ० 203(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83
दिनांक 23-3-1983.

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th November, 1983

S.O. 864(E)|18A|IDRA|83.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 85(E)|18A|IDRA|78, dated the 10th February, 1978, namely :—

In the said Order under the heading “Members” :—

- (1) for serial No. 2 and the entry relating thereto; the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

- (1) “2. Shri R. S. Rajput,
Manager,
Industrial Finance Corporation of India,
Chatterjee International Centre,
33-A, Chowringhee Road,
Calcutta-700071.

- (2) After serial No. 3, the following serial number shall be inserted, namely :—

- “4. Shri A. C. Majumdar,
Chief Executive (Personnel and Administration),
Andrew Yule & Co. Limited,
8, Clive Row,
Calcutta-700001.”

[F. No. 2(1)|78-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

Note :—Order No. S.O. 85(E)|18A|IDRA|78 dated the 10th February, 1978 has been subsequently amended by :—

- | | |
|-----------------------------|-------|
| (1) S.O. 485(E) 18A IDRA 78 | dated |
| 3-8-1978. | |
| (2) S.O. 551(E) 18A IDRA 78 | dated |
| 7-9-1978. | |
| (3) S.O. 748(E) 18A IDRA 79 | dated |
| 22-11-1979. | |
| (4) S.O. 203(E) 18A IDRA 83 | dated |
| 23-3-1983. | |